दिनांक 19.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 19/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना चांदपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 55 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **01 अन्य मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.11.2022 को थाना चांदपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ब्लाक जलीलपुर चौक पर चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे 02 आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नवीन कुमार 2—भूपेन्द्र उर्फ बीनू घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—राजीव 4—जीशान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 55 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, लूट के पैसों से खरीदा गया 01 अन्य मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त कार, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नवीन कुमार निवासी मीरापुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2—भूपेन्द्र उर्फ बीनू निवासी नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3—राजीव निवासी बीरोपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4—जीशान निवासी दरबड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 01 लाख 55 हजार रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—01 अन्य मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त कार।

5—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

<u>जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 02 मोबाइल फोन**
- **02 अन्य मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.11.2022 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करहैडा कट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मो0 वारिश उर्फ रिहान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रोहित उर्फ रोहन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 02 मोबाइल फोन, 02 अन्य मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0 वारिश उर्फ रिहान व रोहित उर्फ रोहन के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पर लूट, हत्या का प्रयास के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मो0 वारिश उर्फ रिहान निवासी भागीरथी विहार गली नं0–11 मुस्तफाबाद थाना गोकुलपुरी, दिल्ली।

2–रोहित उर्फ रोहन निवासी गली नं0–1 मोरटा थाना मधुवन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1– लूटे गये 02 मोबाइल फोन।

2–02 अन्य मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटा गया 01 ई–रिक्शा**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.11.2022 की रात्रि थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जयपुरिया चौराहा सेक्टर–62 के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गयी कार्यवाही से अभियुक्त शारूख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी

गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटा गया 01 ई–रिक्शा, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शारूख निवासी गार्डन सिटी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूटा गया 01 ई–रिक्शा।

2–01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 80 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड बरामद**

दिनॉकः 19.11.2022 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–करामात 2–पन्नू शेख 3–अब्दुल मोहम्मद जाकिर 4–राना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 80 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा रूपया डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी व लूट की घटना कारित करते है। दिनॉकः 11.11.2022 को थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया पर मु0अ0सं0–399/2022 धारा 392/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करामात निवासी दख्खिन दारी 26 रेल गेट थाना लेकटाउन जनपद उत्तर , पश्चिम बंगाल।

2–पन्नू शेख निवासी दख्खिन दारी 26 रेल गेट थाना लेकटाउन जनपद उत्तर , पश्चिम बंगाल।

3–अब्दुल मोहम्मद जाकिर निवासी खैराग्राम थाना बरपटारोड जनपद गोहाटी, असम।

4–राना निवासी दख्खिन दारी 26 रेल गेट थाना लेकटाउन जनपद उत्तर , पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1–लूट के 80 हजार रूपये नगद।

2–05 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 47 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 19.11.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–अभय कुमार उर्फ प्रिंस उर्फ जीत 2–अखिलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 47 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 19.11.2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–835/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तारी व माल की

बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अभय कुमार उर्फ प्रिंस उर्फ जीत निवासी रानीबाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

2—अखिलेश निवासी मोहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के लगभग 47 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण।

<u>जनपद झॉसी/थाना नवाबगंज</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 19.11.2022 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कानपुर हाईवे इलेक्ट्रानिक बस चार्जिंग स्टेशन के पास से 03 अभियुक्तों 1—गोलू 2—कोमल 3—आकाश को गिर्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गोलू निवासी महुअर कालोनी करेरा थाना करेरा जनपद शिवपुरी म0प्र0।

2—कोमल निवासी डुमंगना थाना करेरा जनपद शिवपुरी, म0प्र0।

3—आकाश निवासी गणेश कालोनी थाना करेरा जनपद शिवपुरी, म0प्र0।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर

- **10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लैपटॉप, 07 एटीएम कार्ड**
- **06 मोहर (विभिन्न कार्यालय के)**
- **13 मोबाइल फोन**
- **01 चेक बुक, 03 पास बुक(विभिन्न बैंको के)**
- **डीएल, पहचान पत्र आदि बरामद**

दिनॉकः 18.11.2022 को थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनटीपीसी मोड़ से धोखाधड़ी करने वाले 10 अभियुक्तों 1–पंकज 2–संजय 3–आसिफ 4–मोहित 5–सौरभ 6–मो0 रूकसाद उर्फ समीर 7–आकाश 8–साजिद 9–अंकित 10–ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी में प्रयुक्त 01 लैपटॉप, 07 एटीएम कार्ड ,06 मोहर (विभिन्न कार्यालय के), 13 मोबाइल फोन, 01 चेक बुक, 03 पास बुक(विभिन्न बैंको के), डीएल, पहचान पत्र आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बन्द बीमा पॉलिसी को दोबारा चालू करने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना बादलपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पंकज निवासी ग्राम मनियर रिगवन थाना कोतवाली शहर जनपद बलिया वर्तमान पता–नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।

2–संजय निवासी ग्राम पदपुरी थाना खजूरिया जनपदरामपुर वर्तमान पता सेक्टर–03 वैशाली थाना इन्द्रापुरम् जनपद गाजियाबाद।

3–आसिफ निवासी गली नं0–4 इस्लामनगर थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद।

4–मोहित निवासी गली नं0–4 झण्डापुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद।

5–सौरभ निवासी मौजपुर गौण्डा थाना जाफराबाद, दिल्ली।

6–मो0 रूकसाद उर्फ समीर निवासी मोहल्ला औरवा कोली थाना औरवा कटरा जनपद औरैया वर्तमान पता–तेज मार्केट सोम बाजार थाना सरिता विहार, दिल्ली।

7–आकाश निवासी ब्लाक –2 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी , दिल्ली।

8–साजिद निवासी गली नं0–9 खजूरी थाना खजूरी, दिल्ली।

9–अंकित निवासी कलछिना रोड सिकरी थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।

10–ठाकुर निवासी ग्राम चिल थाना/पटवारी क्षेत्र दनिया जनपद अल्मोडा , उत्तराखण्ड वर्तमान पता–नयाखण्ड थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 लैपटॉप, 07 एटीएम कार्ड ।

2–06 मोहर (विभिन्न कार्यालय के)।

3–13 मोबाइल फोन।

4–01 चेक बुक, 03 पास बुक(विभिन्न बैंको के)।

5–डीएल, पहचान पत्र आदि।

➢ **जनपद पीलीभीत/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–3 पीलीभीत द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———–